## Sainik & Ardh Sainik Welfare Department, Haryana

## To Open a Sainik School

- **832. SMT. GEETA BHUKKAL, M.L.A.:** Will the Sainik and Ardh Sainik Welfare Minister be pleased to state:-
  - (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Sainik School in village Matanhail of Jhajjar Assembly Constituency; and
  - (b) if so, the time by which the construction work of abovesaid school is likely to be started?

#### Sh. Om Prakash Yadav, Minister of State for Sainik & Ardh Sainik Welfare Department

- (a) Yes, Sir A proposal to Open Sainik School in village Matanhail District Jhajjar is under consideration of the Government.
- (b) Gram Panchayat Matanhail & Ruriawas had donated 312 acres land for establishment of Sainik School Matanhail but the same land was under forest Act Section 4-5. Now Gram Panchayat Matanhail has donated 61 acres land free of cost which is free from forest Act Section 4-5. The case regarding allotment of land is under consideration with Development and Panchayat Department, Haryana, Chandigarh. As and when the case regarding allotment of land will be finalized, the process for construction work of Sainik School will be started.

# सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा सैनिक स्कूल खोलने के लिए

- 832 श्रीमती, गीता भुक्कल एम.एल.एः क्या राज्य मंत्री, सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग कृपया बताएगें :—
  - (क) क्या झज्जर विधान सभा क्षेत्र के मातनहेल गांव में सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और
  - (ख) यदि हां, तो उपर्युक्त स्कूल का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

# श्री औम प्रकाश यादव, राज्य मंत्री सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक कल्याण विभाग

- (क) हां, श्रीमान जी, जिला झज्जर गांव मातनहेल में सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।
- (ख) ग्राम पंचायत मातनहेल और रूडियावास ने सैनिक स्कूल मातनहेल की स्थापना के लिए 312 एकड़ भूमि दान में दी थी, लेकिन वह भूमि वन अधिनियम 4—5 के अधीन थी। अब ग्राम पंचायत मातनहेल ने 61 एकड़ भूमि मुफ्त में दान की है जो वन अधिनियम धारा 4—5 से मुक्त है। भूमि के आबंटन से संबंधित मामला विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ के पास विचाराधीन है जैसे ही भूमि आबंटन से सम्बन्धित केस पर अंतिम निर्णय होगा, सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।